पत्रांक–1/प्रा0आ0(2)–24/2006.....52 (प्र0)...../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना–15, दिनांक–26.05.12

विषय– भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों संचालन के संबंध में।

महाशय,

ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की घटनायें होती रहती है। अग्निकांड की छिटपुट घटनायें होने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित गति से पीड़ितों को निर्धारित मानदर के अनुरूप सहाय्य प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। परन्तु भीषण अग्निकांडों, जिसमें काफी संख्या में झोपड़ियां/कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होते हैं तथा जानमाल की गंभीर क्षति होती है, से प्रभावित परिवारों को विशेष राहत केन्द्रों में आवासित करने की आवश्यकता हो सकती है।

अतएव जिला पदाधिकारी भीषण अग्निकांडों में आवश्यकतानुसार विशेष राहत केन्द्रों की स्थापना कर सकते हैं। यह विशेष राहत केन्द्र कम अवधि के लिए चलाए जायेंगे जिसका निर्धारण स्थिति विशेष के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिला पदाधिकारी राज्य आपदा रिस्पांस कोष के मानदर के अनुसार अनुदान का भुगतान शीघ्रता से सुनिश्चित करेंगे। मुफ्त साहाय्य एवं गृह क्षति अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाए ताकि पीड़ित परिवार अपने अस्थायी आवासन की व्यवस्था कर लें। तब विशेष कैम्प की आवश्यकता न रहेगी। ऐसे राहत केन्द्रों के सफल संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जाएगी :–

1. **कैम्प कार्यालय** – कैम्प कार्यालय खोलकर प्रभावित परिवारों का पंजीयन कर लिया जाय जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी दर्ज की जाय। इस कार्य हेतु हल्का कर्मचारी। पंचायत सचिव/पंचायत रोजगार सेवक/आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका की सेवा ली जा सकती है
2. **आवासन**– घटना स्थल के समीप किसी सरकारी पक्का मकान यथा विद्यालय भवन /सामुदायिक भवन/आंगनबाड़ी केन्द्र/पंचायत भवन आदि के परिसर में अथवा टेन्टों में प्रभावित परिवारों को आवासित किया जाय। यदि टेन्ट उपलब्ध न हों तो आपदा प्रबंधन विभाग को त्वरित गति से सूचित किया जाए ताकि अन्य जिलों में उपलब्ध टेन्ट उक्त जिले में भेजवाए जाए।

3. **भोजन**– प्रभावित परिवारों को पका हुआ भोजन दो बार (सुबह –शाम) मुहैया कराया जाना है। इसके लिए सामान्य रूप से चावल की खपत होगी। इसके अतिरिक्त दाल, सब्जी एवं ईंधन की आवश्यकता होगी। यह प्रयास रहे कि भोजन व्यवस्था में खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने का कार्य यथा संभव स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के माध्यम से कराया जाय।

भोजन तैयार करने के लिए रसोइये की जरूरत होगी । कैम्प में आये हुए विस्थापित महिलाओं/पुरूषों की सेवायें इस कार्य हेतु ली जा सकती है। उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान श्रम संसाधन विभाग के द्वारा निर्धारित दर पर की जायेगी। पका हुआ भोजन स्वच्छ एवं पौष्टिक होना चाहिए।

इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि बासी भोजन का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं हो।

4. **दरी /चटाई**– विस्थापितों के विश्राम के लिए कैम्प में दरी/चटाई की व्यवस्था की जायेगी।
5. **वस्त्र एवं बर्त्तन** – विभागीय पत्रांक–1376 दिनांक–27.04.2012 के द्वारा अग्निकांड आपदा के उपरान्त राहत वितरण के संबंध में संशोधित मानदर परिचारित है। उक्तानुसार बस्त्र के लिए ₹ 1300 प्रति परिवार तथा बर्तन के लिए ₹ 1400 प्रति परिवार की राशि का वितरण शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाय ताकि प्रभावित परिवार आवश्यक वस्त्र/बर्त्तन का क्रय कर सके।
6. **बच्चों के लिए दूध**– पाँच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त (सुबह–शाम) आवश्कतानुसार दुग्ध मुहैय्या कराया जाएगा।
7. **रोशनी**– कैम्प में रोशनी की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। इसके लिए generator में diesel/kerosene, अथवा लालटेनों में kerosene, का व्यय अनुमान्य होगा।
8. **पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्वच्छता**– पुरूष एवं महिला के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई के लिए साबुन/डिटजेन्ट पाउडर, फेनाईल की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाएं ली जा सकती है।
9. **स्वास्थ्य एवं चिकित्सा**– कैम्प में औषधि के साथ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहेंगे। नये संशोधित मानदर के अनुसार चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) द्वारा दिया जाना है।
10. **सुरक्षा व्यवस्था**– अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए समुचित आरक्षी बल की व्यवस्था कैम्प में की जायेगी।
11. **संचार सुविधा**– आवश्यक सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए कैम्प में संचार सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।
12. **मानदर**– कैम्प व्यवस्था हेतु मानदर निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। कैम्प हेतु निम्नलिखित मानदर निर्धारित की जाती है:–

1. पका हुआ भोजन	(क) दो वक्त (सुबह–शाम) विस्थापितों को दिया जायेगा।
	(ख) मुफ्त वितरण हेतु जिलों को उपलब्ध कराए गए, चावल का उपयोग राहत शिविर में किया जाएगा।
	(ग) चावल प्रति व्यस्क–500 ग्राम, प्रति अवस्क–200 ग्राम, प्रति दिन की दर से दिया जाएगा।
	(घ) दाल 100 ग्राम, व्यस्क एवं अवयस्क को प्रतिदिन दिया जाएगा।
	(ड़) सब्जी के लिए आलू प्रति व्यक्ति 200 ग्राम, प्रतिदिन की दर से।
	(च) तेल, मशाला, ईंधन आदि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 रू0 की दर से।
	(छ) रसोईयों के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।
	(ज) दाल, तेल, सब्जी, एवं ईंधन के दर का निर्धारण स्थानीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा।
2. रोशनी	(क) रोशनी के लिए भाड़े पर जेनरेटर की व्यवस्था ।
	(ख) जेनरेटर के भाड़ा का निर्धारिण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा।
	(ग) 1 माह में 100 (एक सौ) लीटर डीजल, अनुमान्य होगा।
	(घ) आवश्यकतानुसार लालटेन तथा किरासन तेल का उपयोग किया जाएगा जिसका आंकलन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. दरी/चादर	इसकी व्यवस्था सरकारी संख्था/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य श्रोत से प्राप्त सामग्री से की जाएगी। अनुपलब्धता की स्थिति में जिला पदाधिकारी, नियमानुसार क्रय करने की कार्रवाई करेंगे।

4. बच्चों के लिए दुग्ध	(क) पाँच वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों को दुग्ध कम्फेड द्वारा मुहैया कराया जाएगा।
	(ख) कम्फेड द्वारा मुहैया कराये गए मिल्क पाउडर के वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. वस्त्र / बर्त्तन	(क) विभागीय पत्रांक–1376 दिनांक– 27.04.2012 के द्वारा अग्निकांड आपदा के उपरान्त राहत वितरण के संबंध में संशोधित मानदर परिचारित है। उक्तानुसार बस्त्र के लिए ₹ 1300 प्रति परिवार तथा बर्तन के लिए ₹ 1400 प्रति परिवार की राशि का वितरण शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाय ताकि प्रभावित परिवार आवश्यक वस्त्र/बर्त्तन का क्रय कर सके।
6. पेयजल/अस्थायी शौचालय/स्वच्छता	इसकी व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इसके व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी।
7. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा NRHM मद से की जायेगी।
8. संचार	शिविर में दूरभाष की सुविधा की व्यवस्था पर किया गया व्यय एस0डी0आर0एफ0 मद से अनुमान्य होगा।
9. कैम्प व्यवस्था	परिवहन तथा आकस्मिक व्यय–यथा आवश्यकता।

13. **लेखा/पंजियों का संधारण–** कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निम्न पंजियों संघारित की जाएगी।

(क) लेखा संबंधित रोकड़बही।

(ख) सामग्रियों की आमद एवं खपत से संबंधी पंजी संधारित की जाएगी। इसका नियंत्रण/सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किया जाएगा।

(ग) विस्थापित पंजीकृत व्यक्ति को ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसे सुनिश्चित किया जाय। भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की भी एक पंजी अलग

से संधारित की जाएगी जिसका सत्यापन प्रतिदिन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ध) कम्फेड से प्राप्त होने वाले मिल्क पाउडर के लिए स्टॉक पंजी संधारित की जाय क्योंकि कम्फेड को इसकी कीमत का भुगतान किया जाएगा। बच्चों को वितरित किये गये दुग्ध से संबंधित पंजी का भी संधारण किया जाएगा, जिसका सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन करेंगे।

(ड़) सरकारी संस्था/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य स्त्रोत से प्राप्त सामग्री का उपयोग कैम्प संचालन हेतु किया जा सकता है। इसके लेखा–जोखा के लिए अलग से कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पंजी संधारित की जाएगी।

कैम्प की व्यवस्था पर व्यय निम्नलिखित मदों से विकलनीय होगाः–

क्र0सं0	मद	शीर्ष
1	भोजन सामग्री	2245–02–101–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति
2	दरी/चटाई एवं रोशनी	2245–02–112–0002–जनसंख्या का निष्क्रमण
3	वस्त्र एवं बर्त्तन	2245–02–101–0007– क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान
4	बच्चों के लिए दूध	2245–02–800–0006–कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार
5	पेयजल	2245–02–102–0001–पेयजल की आपूर्ति
6	अस्थायी शौचालय	2245–02–109–0001–खराब जलापूर्ति मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मति/प्रत्यस्थापना
7	संचार सुविधा	2245–02–112–0004–संचार उपकरणों का क्रय

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि–माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव/मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ । अनुरोध है कि इसे माननीय मुख्य मंत्री/मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के अभिज्ञान में लाया जाए।

प्रधान सचिव